वह बड़े गुनाह जिन्हें मामूली समझ लिया गया

27

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है।

सब तअरीफ़े अल्लाह तआला के लिए हैं जो सारी कायनात का मालिक है। हम उसी की तअरीफ़ करते हैं। उसी का शुक्र अदा करते हैं और उसी से मदद मांगते और माफ़ी चाहते हैं।

अल्लाह की बेशुमार सलामती, रहमतें, और बरकतें नाज़िल हो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप की आल व औलाद व असहाब रज़ि.पर

हमने इस उनवान में अब तक 19 गुनाहो के बारे में जाना – अब आगे.......

20. दोरूख़ापन

यह एक बदतरीन खसलत व आदत है जो इस्लामी तालीमात से मेल नहीं खाती और यह आदत किसी ऐसे शख़्स में जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, होनी भी नहीं चाहिये। यह एक तरह का निफ़ाक़ है जो कुफ़्र की ही एक शाख़ है बल्कि कुछ वजहों से यह कुफ़्र से भी बदतर है। बहरहाल कुफ़्र हो या निफ़ाक़ दोनों ही जहन्नम में ले जाने वाले हैं। ''दो रूख़ापन'' उस बुरी आदत को कहा जाता है जब कोई शख़्स या दो गिरोह या दो जमाअतों के बीच मन मुटाव पैदा हो जाए या किसी बात पर इख़्तिलाफ़ हो जाए तो दूसरा कोई शख़्स दोनों से खुलूस और मुहब्बत से पेश आने और उनमें सुलह और समझौता कराने के बजाये एक तरफ़ की बात दूसरे को और दूसरे की बात पहले को पहुंचाये और दोनों जगह मुंह देखी बात करते हुए दूसरे (गायब) के खिलाफ़ बात करे, जिससे उन दोनों शख़्सो, जमाअतों या गिरोहों में नफ़रत व दुश्मनी या दूरी और बढ़ जाए।

जबकि ऐसे मौके पर एक भले इन्सान को दोनों गिरोह या शख़्सों से मुहब्बत व खुलूस से पेश आते हुए उनमें सुलह और मेल–मिलाप करने–कराने की कोशिश करना चाहिये। दो लोगों या गिरोहों में मेल कराना और उन में सुलह सफ़ाई कराना यह एक बड़ा काम है। ऐसा करने के लिए इस्लाम ने ज़रूरत पड़ने पर झूट बोलने या झूट का सहारा लेने की भी इजाज़त दी है। इस बात से यह भी अन्दाज़ा हो जाता है कि दो रूख़ापन करके दो लोगों या गिरोहों के बीच दूरी पैदा करना या गलतफ़हमियों को जन्म देना कितना बड़ा गुनाह है। चाहे एक–दूसरे की सच्ची बात ही क्यों न पहुंचाई जाए। किसी शख़्स की उस के मुंह पर तारीफ़ करना और उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करना, यह भी एक तरह का 'दो रूख़ापन' है। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह तआला ने इर्शाद फ़रमाया– ''जब कभी ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाये और जब अकेले में अपने शैतानों से मिलते हैं, तो कहते है कि हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो ईमान (लाने) वालों से मज़ाक करते हैं।'' (सूरह बक़रा–आयत–14)।

इसी तरह उन लोगों के बारे में जो ज़ुबान से तो अल्लाह के दीन का इक़रार करते हैं लेकिन दिल से उस पर यक़ीन नहीं करते। फ़रमाया–''मुनाफ़िक़ जहन्नम के सब से निचले दर्जे में होगें और तुम किसी को उनका मददगार ना पाओगे।(निसॉ–आयात–145) नबी सल्ल. ने भी दो रूख़ेपन की बुराई बयान की और इस के नुक़सानात को उजागर किया।

1. अबु हुरैरा रज़ि. का बयान है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया ''क़यामत के दिन अल्लाह के यहां तुम उस शख़्स को सबसे बदतर पाओगे जो कुछ लोगों के सामने एक रूख़ (चेहरे) से आता है और दूसरों के सामने दूसरे रूख़ से जाता है।'' (बुख़ारी–3494, 6058, मुस्लिम–6869 तिर्मिज़ी–1841)।

2. अम्मार इब्ने यासिर रज़ि. बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ़रमाया

''जिस शख़्स के दो मुंह हों, क़यामत के दिन उस के मुंह में आग की दो जुबानें होंगी।''
(अबु दाऊद–4873)।

3. अबु हुरैरा रजि. बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ़रमाया ''सब लोगों में बुरा वह शख़्स है जो दो मुंहवाला है। कुछ लोगों के पास एक मुंह लेकर जाता है और दूसरों के पास दूसरा मुंह लेकर।'' (अबु दाऊद–4872, मुस्लिम)

हासिले कलाम यह कि–यह एक ऐसी बुराई है–

1. जो अल्लाह को सख़्त ना पसन्द है।
2. जिसे अल्लाह के रसूल सल्ल. ने भी बहुत बुरा कहा है।
3. जिससे समाज में फ़ित्ना व फ़साद पैदा होता है।
4. जिससे लोगों या जमाअतों के बीच दूरियां बढ़ती है।
5. जिससे ऐसा शख़्स जहन्नम में अज़ाब पाने का हक़दार बन जाता है।
6. जिससे एक वक़्त आता है कि लोगों के दिलों में भी ऐसे शख़्स की कोई इज़्ज़त नहीं रहती।

कुल मिला कर बात यह कि हम सभी को ऐसी बुराई से जो हमें दुनियां और आख़िरत में नुक़्सान पहुंचाने वाली है, बचने की कोशिश करना चाहिये, बचना चाहिये।

21. वादा ख़िलाफ़ी

'वादा खिलाफ़ी' भी बुरे अख़लाक़ में से है और यह भी झूट की एक शक्ल है। झूट जुबान से बोला जाता है और वादा खिलाफ़ी अपने किरदार व अमल से उसका इज़हार करना है।

दीने इस्लाम ने अपने मानने वालों को इस बद अख़लाक़ी और बुराई से दूर रहने की तअलीम दी है। अल्लाह की किताब कुरआने करीम में वादा खिलाफ़ी करने को दिलों का निफ़ाक़ बतलाया गया तो अहादीसे रसूल सल्ल. में इसे निफ़ाक़ की अलामत (निशानी) कहा गया।

इर्शादे बारी तआला है ''अपने वादो को पूरा करो। इसलिए कि क़यामत के दिन इस बारे में पूछा जायेगा।''(सूरह इस्रा–आयत–34)।

और फ़रमाया ''जो शख़्स अपने इक़रारों और वादों को पूरा करता है और गुनाहों से बचता है, अल्लाह ऐसे शख़्स से मुहब्बत करता है।'' (आले इम्रान–आयत–76) और नसीहत देते हुए फ़रमाया ''ऐ ईमान वालों! अपने वादों को पूरा करो।'' (सूरह माईदा–आयत–01, अनआम–आयत–152)।

एक और जगह फ़रमाया ''समझदार लोग वोह हैं जो अपने किये गये वादों को पूरा करते हैं और वादा खिलाफ़ी नहीं करते।'' (रअद–आयत–20)।

एक मक़ाम पर अल्लाह ने फ़रमाया ''वो ईमान वाले कामयाब हो गये जो अमीन होते हैं और अपने क़ौल व क़रार का ध्यान रखते हैं।'' (मुअमिनून–आयत–08)

एक भले आदमी की खूबियों में से एक खूबी (ख़ासियत) यह बतलाई कि ''वह वादों को पूरा करता है (वादा ख़िलाफ़ी नहीं करता)।'' (बक़रा–आयत–177)

कोई शख़्स अपनी बात का कितना सच्चा या पक्का है, यह बात भी उस के किरदार को उजागर करती है।

1. आप सल्ल. ने भी मुनाफ़िक़ की जो तीन निशानिया बयान फ़रमाई। उनमें से एक यह बतलाई कि ''जब वादा करे तो पूरा न करे।'' (मुस्लिम–82, बुख़ारी –6095, रावी–अबु हुरैरा रजि.)

2. ''वादा भी एक तरह का कर्ज़ है।'' (तबरानी–मुअजम औसत) यानि जिस तरह कर्ज़ का अदा करना जरूरी है। उसी तरह किये गये वादों को पूरा करना भी जरूरी है।

जैद बिन अरक़म रजि. का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ़रमाया जिसकी नियत वादा पूरा करने की थी। लेकिन वह (किसी मजबूरी की वजह से) तय वक़्त (या जगह) पर नहीं आया तो उस पर कोई गुनाह नहीं।'' (अबु दाऊद–4995)

बिना किसी मजबूरी के वादे को पूरा न करना या सिर्फ़ टालने के लिए वादा कर लेना।

जबकि दिल में उस को पूरा करने की नीयत ही न हो तो यह एक तरह का धोखा देना है।
मालूम हुआ कि–वादा खि़लाफ़ी करना।
1. निफ़ाक़ की निशानियों में से एक निशानी है।
2. क़यामत के दिन इस के बारे में पूछा जायेगा।
3. वादा निभाने वालों से अल्लाह मुहब्बत करता है।
4. समझदार लोग वादा खि़लाफ़ी नहीं करते।
5. (अल्लाह के हां) वह कामयाब होगा जो वादों को पूरा करेगा।

22. नाप–तौल में कमी–बेशी

नाप–तौल में कमी या ज़्यादती करना चोरी ही की शक्ल है। ऐसा करने वाले शख़्स को उर्फ़े आम में चाहे चोर न कहा जाए। लेकिन किसी से पूरी क़ीमत लेकर उसका हक़ पूरा न देना या डंडी मार कर किसी का हक़ दबा लेना और पूरा माल न देना चोरी नहीं तो और क्या है?

यह एक बदतरीन खयानत है जो अल्लाह को मानने और क़यामत का यक़ीन रखने वालों के शायानें–शान नहीं। इस्लाम तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ तिजारत करने की तालीम देता है और ईमानदार ताजिर को पसन्द करता है।
अल्लाह तआला ने अपने बन्दों को हुक्म दिया कि ''नाप–तौल पूरा–पूरा करो।'' (सूरह अनआम–आयत–152, आराफ़–आयत–85)
एक और जगह फ़रमाया ''नाप–तौल पूरा–पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़े कम न दो।'' (सूरह हूद–आयत–85)
एक मक़ाम पर फ़रमाया ''जब नापने लगो तो भरपूर पैमाने से नापो और सीधी तराजू से तौला करो। (सूरह इस्रा–आयत–35)
एक और मक़ाम पर फ़रमाया ''नाप पूरा भरा करो और कम देने वालों में से न बनो।'' (सूरह शोअरा–आयत–182)

एक जगह इस तरह फ़रमाया ''इन्साफ़ के साथ वज़न को ठीक रखो और कम तौल कर न दो।'' (सूरह रहमान–आयत–09)
एक और जगह अल्लाह तआला इस तरह मुख़ातिब हुआ ''बड़ी ख़राबी है नाप–तौल में कमी करने वालों के लिए जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते है और जब उन्हें नाप कर या तौल कर देते हैं तो कम देते हैं। क्या उन्हें मरने के बाद जी उठने का ख़्याल नहीं? उस अज़ीम दिन कि जिस दिन सारे लोग अल्लाह (रब्बुल आलमीन) के सामने खड़े होंगे। (सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन–आयत–1 से 6)

जब आप सल्ल. हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये। उस वक़्त मदीना में नाप–तौल में कमी–बेशी करने की यह बुरी खसलत (आदत) आम थी। (इब्ने माजा 2223) चुनांचे इस की बुराई बयान करते हुए अहले ईमान को इस से रोका गया और बताया गया कि ऐसी हरकतें वही लोग करते हैं, जिन का मरने के बाद दुबारा उठाये जाने और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होने और अपने किये का हिसाब देने पर यक़ीन नहीं होता बल्कि इस दुनियां की जिन्दगी ही को वोह सब कुछ समझ बैठते हैं।
1. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि. का बयान है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया– ''जब तौलो तो झुकाकर तौलो।'' (इब्ने माजा–2222)
2. अबु हुरैरा रज़ि. का बयान है कि अल्लाह के रसूल–सल्ल. ने फ़रमाया–''सामान बेचने में जो धोखे से काम ले (यानि जो सामान का ऐब छिपा कर बेचे) वह हम में से नहीं है। (इब्ने माजा–2224)
3. अबुज़र रज़ि. बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया ''क़यामत के दिन अल्लाह तआला तीन (तरह के) आदमियों से बात नहीं करेगा और न उन की तरफ़ देखेगा और न ही उन्हें पाक करेगा। उनमें से एक झूटी क़सम खा कर माल बेचने वाला है।'' (इब्ने माजा–2208)
4. अबु क़तादा रज़ि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया ''माल को क़सम खा कर

बेचने से बचो। इसलिए कि क़सम खाने से पहले तो माल चलता बनता है, फिर उसकी बरकत भी जाती रहती है।" (इब्ने माजा–2209)
5. इब्ने माजा ही की एक रिवायत में है कि "जो क़ौम नाप–तौल में कमी करती है उस पर अकाल, कड़ी मेहनत और हाकिमों का ज़ुल्म मुसल्लत कर दिया जाता है।"

मुख़्तसर यह कि नाप–तौल में कमी–बेशी करना गुनाह है। जो भी यह गुनाह करेगा उसे क़यामत के दिन इस जुर्म की वजह से नुक़्सान उठाना पड़ेगा। हां अल्लाह ही किसी पर रहम कर दे तो बात जुदा है।

23. चोरी करना

"चोरी करना" एक बदतरीन जुर्म है। जिसके ज़रिये कोई शख़्स किसी दूसरे की मेहनत और कोशिश से हासिल की गई दौलत को हड़प लेता है। फिर चूंकि चोर को यह माल व दौलत किसी जाइज़ कोशिश या कड़ी मेहनत के बिना हासिल होती है इसलिए उसे खर्च भी बड़ी आसानी और बेदर्दी से कर देता है और इस तरह चोर उस माल व दौलत का कोई ख़ास फ़ायेदा भी नहीं उठा पाता। अलबत्ता जिसका माल चोरी होता है वह ज़रूर तक्लीफ़ और परेशानी उठाता है और नुक़्सान सहने पर मजबूर होता है। अगर इस बुराई की रोक–थाम न की जाए तो समाज में बद अम्नी आम हो जाए और ज़्यादातर लोग अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठे और बुरे लोग उनके माल पर ऐश करते नज़र आयें।
इर्शादे बारी तआला है "ऐ ईमान वालो! आपस में एक–दूसरे का माल ना जायज़ तरीक़े से मत खाओ।" (सूरह बक़रा–188, निसा–04)
चोरी करना अल्लाह के नज़दीक एक संगीन जुर्म है। इसलिए इस जुर्म की सज़ा भी उसने सख़्त रखी है। चोरी करने वाला मर्द हो या औरत जब इक़रार या गवाही के ज़रिये जुर्म साबित हो जाये तो इस्लामी हुकूमत में क़ाज़ी (जज) की ज़िम्मेदारी है कि उस (मुजरिम) पर शरई सज़ा नाफ़िज़ करे। वह यह कि चोर का दांया हाथ गट्टों से काट डालें। ताकि यह सज़ा न सिर्फ़ उस के किये का बदला हो बल्कि औरों के लिए भी एक सबक़ हो।
अल्लाह तआला का फ़रमान है "चोरी करने वाले मर्द व औरत के हाथ काट दो। यह बदला है उसका जो उन्होंने किया और दूसरो के लिए इबरत का ज़रिया भी।" (सूरह माईदा–आयत–38)

आप सल्ल. की आमद से पहले और आपके ज़माने में भी अहले–अरब में चोरी की वबा आम थी। इसलिए शुरू इस्लाम में इस्लाम क़ुबूल करने वाले मर्द व औरतों से यह वादा लिया जाता था कि वोह चोरी नहीं करेंगे। अल्लाह तआला ने फ़रमाया–"ऐ नबी सल्ल.! जब आप के पास ईमान वाली औरतें इस बात पर बैअत करने को हाज़िर हों कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी और बदकारी नहीं करेंगी तो उन की बैअत क़ुबूल कर लो।" (मुम्तहिना–आयत–12)

चोर यानि चोरी करने वाला ईमान की हक़ीक़त और लज़्ज़त से मेहरूम रहता है। कम से कम उस वक़्त जब वह चोरी कर रहा होता है तब अपने अमल से यह ज़ाहिर करता है कि अल्लाह भी उसे नहीं देख रहा है।
1. अबु हुरैरा रज़ि. का बयान है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया "लानत करे अल्लाह चोर पर कि अन्डे चुराता है और उस का हाथ काटा जाता है, रस्सी चुराता है और उसका हाथ काटा जाता है।" (मिश्कात–3433,नसाई–4879)
2. अबु हुरैरा रज़ि. रिवायत करते हैं कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया "जब ज़िना करने वाला ज़िना करता है तो ईमान उसके साथ नहीं रहता। जब चोर चोरी करता है तो उसके साथ ईमान नहीं रहता और जब कोई शराब पीता है तो उस वक़्त उसके साथ ईमान नहीं होता और जब कोई बड़ी लूट करता है तो उसके साथ ईमान नहीं रहता।" (नसाई–4877)
3. अबु हुरैरा रज़ि. बयान करते है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ़रमाया "जब कोई ज़िना करता है तो वह मोमिन नहीं रहता। जब कोई चोरी करता है तो वह मोमिन नहीं

रहता और जब कोई शराब पीता है तो वह मोमिन नहीं रहता....। जब ये काम किये तो उसने इस्लाम का पट्टा अपनी गर्दन से निकाल डाला। लेकिन अगर तोबा करले तो अल्लाह माफ़ करने वाला है।'' (नसाई-4878)

क़बीला मखज़ूम की एक औरत ने चोरी की। मामला आप सल्ल. की खिदमत में पेश हुआ। चूंकि वह एक इज़्ज़तदार क़बीले और घराने की औरत थी। उसका हाथ कटेगा यह सोच कर लोगों को बड़ी फ़िक्र हुई और कोशिश करके उसामा बिन ज़ैद रज़ि. को उस औरत की सिफ़ारिश करने के लिए तैयार किया। उन्होंने जब नबी सल्ल. से बात की तो आप सल्ल. बहुत गुस्सा हुए और फ़रमाया-''तुम से पहले क़ौमें इसीलिए हलाक हुई कि उनमें जब कोई मामूली दर्जे का शख़्स चोरी करता तो उसे सज़ा दी जाती और जब कोई इज़्ज़त दार शख़्स चोरी करता तो उसे छोड़ दिया जाता। अल्लाह की क़सम! अगर मुहम्मद (सल्ल.) की बेटी फ़ातिमा (रज़ि.) भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट डालता।'' (अबु दाऊद-4373,बुखारी-3733)

24. क़ब्र परस्ती

'क़ब्र परस्ती' शिर्क है और यह शिर्क मुसलमानों में इल्मे दीन की कमी और दीन से दूरी के सबब ओलिया अल्लाह की मुहब्बत व अक़ीदत के पर्दे में बिदअत के दरवाज़े से दाखिल हुआ। लोग फ़ौत शुदा औलिया और बुजुर्गाने दीन की क़ब्रों के साथ वही मामलात करने लगे जो इबादत के दर्जे में आते है-जैसे ज़रूरतों को पूरा करना, नफ़ा पहुंचाना या नुक़्सान से बचाना, मुसीबतों को टालना परेशानियों को दूर करना यह सब अल्लाह के इख़्तियार में है लेकिन अल्लाह का यह हक़ लोग साहिबे मज़ार को दे बैठे। इबादत का हर वह तरीक़ा जो अल्लाह के लिए ख़ास था। मज़ारात के साथ वा बस्ता कर दिया गया।

इर्शादे बारी तआला है '' तुम्हारा रब साफ़-साफ़ हुक्म दे चुका कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करना।'' (इस्रा-आयत-23)

मुश्किलात से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग साहिबे क़ब्र को पुकारते हैं जबकि अल्लाह का फ़रमान है'' मुसीबत ज़दा, लाचार और बेबस शख़्स जब वे क़रारी में अल्लाह को पुकारे तो कौन है जो उस की पुकार सुनता है, कुबूल करता है और उस की तक्लीफ़ को दूर करता है और कौन तुम को ज़मीन में (एक दूसरे का) जा नशीन बनाता है? क्या अब भी यही कहोगे कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा मअबूद भी है? (नम्ल-आयत-62)

कुछ लोग तो उठते-बैठते चलते-फिरते गरज़ हर वक़्त अपने पीर या वली के नाम ही को जपा करते हैं। कोई ''या मुहम्मद'' पुकारता है तो कोई ''या अली'' कोई ''या हुसैन'' का नारा लगाता है तो कोई ''या गौस, का, कोई ''या अली हजवेरी'' का दम भरता है तो कोई ''या गरीब नवाज़'' का। और अल्लाह तआला फ़रमाता है- ''यक़ीनन तुम अल्लाह के सिवा जिस किसी को पुकारते हो, वोह भी तुम्हारी तरह बन्दे ही है।'' (आराफ़-आयत-194)

मज़ारात (क़ब्रों) पर अक्सर लोग क़ब्र का तवाफ़ करते, क़ब्र को छूते, उस मज़ार की चौखट का बौसा लेते, सज्दा करते, आजिज़ी, इन्कसारी और ज़िल्लत के साथ गिड़गिड़ाते, पुकारते नज़र आते है। और अल्लाह फ़रमाता है-''उस शख़्स से बढ़कर गुमराह और कोन होगा? कि अल्लाह के अलावा ऐसी हस्तियों को पुकारता है जो क़यामत तक उसके पुकारने का जवाब न दे सकें। (जवाब देना तो दूर) वोह तो उनकी पुकार ही से बे खबर हैं। (अहक़ाफ़-आयत-05)

कुछ लोग तो यह भी अक़ीदा रखते हैं कि कायनात का निज़ाम औलिया अल्लाह चलाते हैं और वोह नफ़े-नुक़्सान के भी मालिक हैं। जबकि रब का फ़रमान है-अगर तुम को अल्लाह कोई तक्लीफ़ पहुंचाये तो उसे अल्लाह के सिवा कोई दूर करने वाला नहीं।'' (युनुस-आयत-107) इसी तरह 'नज़र' एक इबादत है और यह अल्लाह का हक़ है। यह हक़ भी कुछ लोगों ने क़ब्र वालो को दे दिया और उनके नाम की नज़र मानने लगे। ''मज़ारात पर जो मोमबत्ती, खुश्बू और रुपया-पैसा चढ़ाया जाता है। यह सब हराम और गलत है।'' (फ़तावा मेहमूदिया-जिल्द 01 सफ़ा-215)

''गैरूल्लाह की नज्र मुर्दार के हुक्म में है और उसका खाना जाइज् नहीं है।'' (फ्तावा मेहमूदिया–जिल्द–17 सफा–294)
लोग कब्रों पर ले जाकर साहिबे कब्र को राजी करने के लिए जानवर भी जिब्ह करते हैं। जबकि अनस रजि. का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ्रमाया ''इस्लाम में कब्रो पर 'अक्र (जानवर जिब्ह करना) जाइज् नहीं है।'' (अबु दाऊद–3222)
''जिस शख़्स ने अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर जिब्ह किया। उस पर अल्लाह की लअनत है।'' (मुस्लिम 54।4 (अली रजि.)
कभी गैरूल्लाह के नाम पर जिब्ह किये हुए जानवर में दो हराम चीजे जमा हो जाती हैं। (1) अल्लाह के अलावा दूसरों के लिए जिब्ह करना। 2. गैरूल्लाह का नाम लेकर जिब्ह करना। इन दोनों सूरतों ही में जिब्ह किये हुए जानवर को खाना हराम है।
मुख़्तसर यह कि कब्र परस्ती शिर्क है और जहन्नम में ले जाने वाला अमल है।

25. हराम को हलाल और हलाल को हराम क्रार देना

यह सोच या एतेक़ाद रखना कि अल्लाह के अलावा भी कोई और किसी चीज् को हलाल या हराम करने का हक् रखता है, शिर्क करने जैसा है। इसी तरह अपने मामलात का फैसला करवाने के लिए अपनी मर्जी और खुशी से गैर शरई अदालत को जाना और लोगों के बनाये कानून से फैसले करवाने को जाइज् और हलाल समझना,अल्लाह से कुफ्र करना है। इर्शादे बारी तआला है लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिमों और दर वेशों को रब बना लिया है।'' (तौबा–आयत–31)
जब यह आयते मुबारका अदी बिन हातिम रजि. (जो ईसाई मज्हब छोड कर इस्लाम लाए थे) ने सुनी तो अर्ज् किया। ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल.! ईसाई अपने आलिमों की पूजा तो नहीं करते फिर उन्हें रब बनाने का क्या मतलब हुआ? आप सल्ल. ने फ्रमाया ''क्या यह बात नहीं कि उनके उलेमा अल्लाह की हराम की हुई चीजों को हलाल करार देते तो ईसाई उसे हलाल ही समझते थे और अल्लाह की हलाल की हुई चीजों को अगर उनके उलेमा हराम करार देते तो वोह उनको हराम ही समझते थे। ? यही रब बनाना हैं।'' (यानि उनकी पूजा करना है) (तिर्मिजी–2859)
इस तरह कुरआन व हदीस से मालूम हुआ कि किसी चीज् को हलाल या हराम करने का हक् सिर्फ् अल्लाह का है और यह हक् उसके सिवा किसी और को देना, उसे रब बनाना है।

आज कुछ लोग हैं जो अपने इमामों, मुफ्तियों, पीरों और मुरशदों को यही दर्जा दिये बैठे हैं। किसी मसले में कुरआन व सही हदीस की साफ् दलील होने के बावजूद वह अपने इमाम और मुफ्ती के कौल (फ्त्वे) को ही तरजीह देते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिये। ऐसे ही लोगों के बारे में (जो अल्लाह और उसके रसूल सल्ल. की बात के मुकाबले किसी और के कौल या बात को तरजीह देते हैं)
अल्लाह तआला ने फ्रमाया ''वह अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल.) की हराम कही चीजों को हराम नहीं मानते और न ही दीने हक्क (इस्लाम) के सामने गर्दन झुकाते है।'' (सूरह तौबा–आयत–29) एक और जगह अल्लाह ने फ्रमाया ''(ऐ पैगम्बर सल्ल.! इन लोगों से) कहो भला बताओ तो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिज्क भेजा था। फिर तुमने उसका कुछ हिस्सा हराम और कुछ हलाल करार दे लिया। आप पूछिये कि क्या (यह हलाल व हराम करने का) अल्लाह ने तुम्हें हक् दिया था। या फिर तुम खुद अपनी तरफ् से ही अल्लाह पर झूट बांध रहे हो।'' (युनुस–आयत–59)
अहले इल्म हजरात से गुजारिश है कि इस पर्चे में कहीं कमी या गल्ती पायें तो जरूर हमारी इस्लाह फ्रमाएँ। शुक्रिया।

आपका दीनी भाई
मुहम्मद सईद
Email : saeed.tonk@gmail.com
मो. 09214836639

जारी है.................